

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली - 2010

पत्रांक:- 447 पटना, दिनांक:- 19/01/10
ग्रा0वि0 2/स्था0-10-23/08.

जी0एस0आर0- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार ग्रामीण विकास सेवा का गठन और उसमें भर्ती की पद्धति तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

अध्याय -1

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार :-

- (i) यह नियमावली बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली - 2010 कही जा सकेगी।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (iii) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ- जबतक इस विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई अन्यथा न हो, इस नियमावली के प्रयोजन हेतु,

- (क) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न सूची ;
- (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है "बिहार लोक सेवा आयोग" ;
- (ग) "ग्रेड" से अभिप्रेत है अनुसूची में निर्दिष्ट कोई ग्रेड ;
- (घ) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल ;
- (ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है "बिहार के राज्यपाल" ;
- (च) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है "बिहार की राज्य सरकार" ;
- (छ) "वर्ष" से अभिप्रेत है "वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक" की अवधि ;
- (ज) "वर्ष के अंदर रिक्ति" से अभिप्रेत है सेवा में नये पदों के सृजन, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने और पदच्युत किये जाने से उपलब्ध रिक्ति ;
- (झ) "विभाग" से अभिप्रेत है "ग्रामीण विकास विभाग" ;
- (ञ) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से अभिप्रेत है सरकार द्वारा समय-समय पर गठित विभागीय प्रोन्नति समिति ;
- (ट) "सेवा" से अभिप्रेत है "बिहार ग्रामीण विकास सेवा" ;
- (ठ) "सेवा का सदस्य" से अभिप्रेत है इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन "बिहार ग्रामीण विकास सेवा" में नियुक्त एवं शामिल व्यक्ति ;
- (ड) "संवर्ग" से अभिप्रेत है "बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग" ;
- (ढ) "संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार" से अभिप्रेत है "प्रधान सचिव/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग"।

3. सेवा का गठन एवं पदों का वर्गीकरण :-

- (क) इस अधिसूचना के निर्गत की तिथि से बिहार ग्रामीण विकास सेवा का गठन किया जाता है।
- (ख) सेवा में स्वीकृत पदों की संख्या और इसके विभिन्न पदों के वर्गीकरण इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची में दी गयी विवरणी के अनुसार होगी ;
परंतु यह कि सरकार अनुसूची को आवश्यकतानुसार संशोधित कर सकेगी और इसमें दिये गये पदों की संख्या घटा-बढ़ा सकेगी या पदों की कोई भी संख्या स्थगितावस्था में रख सकेगी तथा ग्रेड में परिवर्तन कर सकेगी।

अध्याय -2

4. रिक्तियों की अवधारणा एवं आयोग को इसकी सूचना :-

राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक सेवा में नियुक्ति हेतु रिक्तियाँ निर्धारित करेगी तथा इसकी सूचना आयोग को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक उपलब्ध करायेगी।

5. आरक्षण :-

इस सेवा में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित आरक्षण के प्रावधान लागू रहेगे।

6. उम्र सीमा :-

सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के एक अग्रस्त को डक्कीस वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

7. कालावधि :-

सेवा के विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि वही होगी, जो राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय।

8. बेसिक ग्रेड में नियुक्ति:-

(क) (i) बेसिक ग्रेड में नियुक्ति सीधी भर्ती से आयोग द्वारा अन्य सेवाओं जैसे बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार आरक्षी सेवा, बिहार वित्त सेवा आदि के लिए निर्धारित मानदण्डों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए आयोजित मंयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर प्राप्त अनुशंसा के आधार पर भरा जायेगा।

(ii) आवेदक को किसी परिनिमित (स्टैटुटरी) विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि (डिग्री) धारण करना आवश्यक होगा अथवा उसे ऐसी अन्य अहर्ताएं रखना आवश्यक होगा जिन्हें राज्यपाल, समय-समय पर, उक्त उपाधियों के समकक्ष घोषित करें।

(iii) बेसिक ग्रेड में प्रथम पदस्थापन ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर होगा।

(ख) जबतक इस संवर्ग में नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती है तबतक के लिए राज्य सरकार अनुसूची 1 के पदों पर रिक्तियों को भरने के लिए अंतरिम व्यवस्था कर सकेगी। नियमित नियुक्ति होने पर यह अंतरिम व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

9. प्रथम प्रोन्नति पदक्रम (ग्रेड):-

प्रथम प्रोन्नति ग्रेड के पदों को मूल संवर्ग के पदाधिकारियों से जो केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पार्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो तथा सेवा में संपुष्ट हो, कम-से-कम तीन वर्षों की सेवा के उपरान्त प्रथम विकास पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर प्रोन्नति कर पदस्थापित किया जा सकेगा। ये पद वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

10. द्वितीय/ तृतीय/चतुर्थ/पंचम प्रोन्नति पदक्रम (ग्रेड):-

द्वितीय / तृतीय/चतुर्थ/पंचम प्रोन्नति पदक्रम (ग्रेड) प्रोन्नति पदक्रम के पदों को वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

11. विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना एवं कार्य :-

- | | |
|--|-------------|
| (क) प्रथम से चतुर्थ पदक्रम (ग्रेड) तक के पदों पर प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना :- | |
| (i) विकास आयुक्त - | अध्यक्ष। |
| (ii) प्रधान सचिव/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग - | सदस्य। |
| (iii) प्रधान सचिव/ सचिव, वित्त विभाग - | सदस्य। |
| (iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा नामित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि - | सदस्य। |
| (v) प्रधान सचिव/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग - | सदस्य सचिव। |
| (ख) पंचम पदक्रम (ग्रेड) के पदों पर प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना :- | |
| (i) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग - | अध्यक्ष। |
| (ii) प्रधान सचिव/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग - | सदस्य। |
| (iii) प्रधान सचिव/ सचिव, वित्त विभाग - | सदस्य। |
| (iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा नामित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि - | सदस्य। |
| (v) प्रधान सचिव/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग - | सदस्य सचिव। |
| (ग) विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आलोक में प्रोन्नति के लिए पदाधिकारियों का अंतिम चयन सरकार करेगी। | |

अध्याय -3
परिवीक्षा, प्रशिक्षण एवं संपुष्टि

12. परिवीक्षा :-

(क) मौलिक रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त होनेवाला प्रत्येक पदाधिकारी पद ग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(ख) परिवीक्षा अवधि पूरी करने पर पदाधिकारी का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर, सरकार परिवीक्षा अवधि और एक वर्ष बढ़ा सकेगी यदि प्रतीत हो कि आचरण एवं सेवा में सुधार की सम्भावना है। बढ़ाई गई अवधि में भी आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(ग) नियुक्ति के बाद प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात् अगली वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जब विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली जाय।

13. प्रशिक्षण :-

सेवा में प्रविष्टि के बाद प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष की होगी। सामान्यतः प्रथम चरण में प्रशिक्षण की यह अवधि तीन माह एवं द्वितीय चरण में एक माह बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड)/ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (गई) में होगी। दोनों चरणों के बीच एक माह का प्रशिक्षण किसी ग्राम पंचायत में, चार माह का प्रशिक्षण प्रखंड में, एक माह का प्रशिक्षण अतृगंडन में एवं दो माह का प्रशिक्षण जिला स्तर पर होगा। प्रशिक्षण के अंत में कार्यकलापों का मूल्यांकन बिपार्ड/ सई द्वारा किया जाएगा।

14. संपुष्टि :-

परिवीक्ष्यमान रूप में नियुक्त पदाधिकारी परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सेवा में संपुष्टि का पात्र होगा :-

(क) विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लिया हो;

(ख) समय-समय पर विहित किया जानेवाला प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और प्रशिक्षण के अंत में, यदि परीक्षा है, तो उसमें उत्तीर्ण हो चुका हो, एवं

(ग) इस अवधि में उसका आचरण एवं सेवा संतोषजनक रहा हो।

अध्याय -4
वेतन एवं वरीयता

15. वेतन:-

विभिन्न ग्रेड के पदों के वेतनमान अनुसूची में दिये गए विवरण के अनुसार या समय-समय पर सरकार द्वारा पुनरीक्षित उनका समकक्ष वेतनमान के अनुसार होंगे। किसी भी वेतनमान में किसी पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण सरकार द्वारा विहित प्रक्रियानुसार किया जायेगा।

16. वरीयता:-

इस सेवा के सदस्यों की वरीयता का निर्धारण राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित सिद्धांतों एवं प्रक्रिया के अनुसार होगी।

अध्याय -5
अन्यान्य

17. विनियम बनाने की शक्ति :-

इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकतानुसार विभाग विनियमावली बना सकेगा।

18. निरसन एवं व्यावृत्ति :-

इस नियमावली के पूर्व निर्गत तत्संबंधी सभी नियमावली/निर्देश आदि निरसित समझे जाएंगे। ऐसे निरसन के बावजूद प्रासंगिक नियमावली/ निर्देश आदि के तहत किए गए कार्य एवं की गई कार्रवाई इस नियमावली के तहत किए गए कार्य समझे जाएंगे।

19. विसंगतियों/ शंकाओं का निराकरण :-

इस नियमावली के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित सभी विसंगतियों/शंकाओं के निराकरण की शक्ति राज्य सरकार में निहित होगी।

20. जो विषय अथवा बिन्दु इस नियमावली में समाहित नहीं हैं उनके संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक संहिता/ नियमावली/ संकल्प/ निर्देश में किए गए प्रावधान इस सेवा के संदर्भ में लागू होंगे।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


प्रधान सचिव

ज्ञापक :- 447 ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 19/01/10

ग्रा0वि0 2/स्था0-10-23/08


प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को गी0वी0 की दो प्रतियों के साथ राजपत्र के अगले गजट में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।
मुद्रित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियों ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


प्रधान सचिव।

ज्ञापक :- 447 ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 19/01/10

ग्रा0वि0 2/स्था0-10-23/08

प्रतिलिपि :- महामहिम राज्यपाल के सचिव/ मुख्यमंत्री के सचिव /मुख्य सचिव/ सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/प्रधान सचिव के सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/संबंधित प्रशाखा-2/कम्प्यूटर कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग/संबंधित महायक (दस प्रतियों) को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव।
2/181

(क) मूल संवर्ग

अनुसूची-1

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	पदों की संख्या	अभ्युक्ति	पद सृजन की विधि
1.	ग्रामीण विकास पदाधिकारी	9300-34800 (पी०बी००२)	4200	534	प्रत्येक प्रखंड में एक पद	ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजन योग्य
कुल पद				534		

(ख) प्रथम प्रोन्नति पदक्रम (ग्रेड) :-

1.	प्रखंड विकास पदाधिकारी	9300-34800 (पी०बी००२)	4800	534	प्रत्येक प्रखंड में एक पद	ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजित एवं स्वीकृत
2.	कार्यपालक दण्डाधिकारी	9300-34800 (पी०बी००२)	4800	147		कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सृजित (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजन योग्य)
कुल पद				681		

(ग) द्वितीय प्रोन्नति पदक्रम (ग्रेड) :-

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	पदों की संख्या	अभ्युक्ति	पद सृजन की विधि
1.	सहायक परियोजना पदाधिकारी	9300-34800 (पी०बी००२)	5400	138	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में स्वीकृत
2.	सहायक जिला विकास पदाधिकारी	9300-34800 (पी०बी००२)	5400	228	जिला स्तर पर जिला समाहरणालय/ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में 6 पद	असृजित पद (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजन योग्य)
3.	सहायक प्रमंडलीय विकास पदाधिकारी	9300-34800 (पी०बी००२)	5400	54	प्रमंडल स्तर पर (9x6=54 पद)	असृजित पद (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजन योग्य)
4.	सहायक निदेशक	9300-34800 (पी०बी००२)	5400	40	राज्य स्तर पर (40 पद)	असृजित पद (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजन योग्य)
कुल पद				460		

(घ) तृतीय प्रोन्नति पदक्रम (ग्रेड) :-

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	पदों की संख्या	अभ्युक्ति	पद सृजन की विधि
1.	परियोजना पदाधिकारी-सह - निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन	15600-39100 (पी०बी००३)	6600	38	प्रत्येक जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में दो पद।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सृजित एवं स्वीकृत (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजन योग्य)
2.	परियोजना पदाधिकारी-सह - निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम	15600-39100 (पी०बी००३)	6600	38		
3.	जिला विकास पदाधिकारी	15600-39100 (पी०बी००३)	6600	38		
4.	अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	15600-39100 (पी०बी००३)	6600	38	प्रत्येक जिला समाहरणालय में एक पद।	असृजित पद (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजन योग्य)
5.	उप निदेशक	15600-39100 (पी०बी००३)	6600	20	प्रत्येक जिला परिषद में एक पद।	असृजित पद (पंचायती राज विभाग द्वारा सृजन योग्य)
कुल पद				172	राज्य स्तर पर	असृजित पद (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजन योग्य)

D. P. Singh


() चतुर्थ प्रोन्नति पदक्रम(ग्रेड) :-

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	पदों की संख्या	अभ्युक्ति	पद सृजन की स्थिति
1.	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	15600-39100 (पी०बी०३)	7600	10	10 जिला परिषदों में 1-1 पद (शेष जिलों में बि० प्र० से० से पदस्थापन)	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से सृजित एवं स्वीकृत (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजन योग्य)
2.	प्रमंडलीय विकास पदाधिकारी	15600-39100 (पी०बी०३)	7600	9	प्रत्येक प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में एक पद।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी के लिए 6 पद स्वीकृत (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजन योग्य)
3.	संयुक्त निदेशक	15600-39100 (पी०बी०३)	7600	15	राज्य स्तर पर दस पद- बिपार्ट/सर्डे में पाँच पद	असृजित पद (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजन योग्य) सृजित पद
कुल पद				34		

(ख) पंचम प्रोन्नति पदक्रम(ग्रेड) :-

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	पदों की संख्या	अभ्युक्ति	पद सृजन की स्थिति
1.	अपर निदेशक	37400-67000 (पी०बी०४)	8700	5	राज्य स्तर पर	असृजित पद (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजन योग्य)
कुल पद				5		

इसके अतिरिक्त अवकाश/प्रशिक्षण/प्रतिनियुक्ति आरक्षित हेतु कुल पद का 4 (चार) प्रतिशत यानि 75 (पचहतर) पद होगा। इस प्रकार इस संवर्ग के पदाधिकारियों का कुल बल 1961, 4% अवकाश/प्रशिक्षण/प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित पद सहित होगा। राज्य सरकार उपर्युक्त पद संरचना में कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप समय-समय पर संशोधन कर सकेगी।


 प्रधान सचिव
 ग्रामीण विकास विभाग
 बिहार, पटना।
